

परियोजना का नाम—जनपद—टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग(कुल लम्बाई—3.00किमी०) के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि—2.205 है० तथा सिविल सोयम वन भूमि— 0.090 है० कुल 2.295 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है"।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.4 है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 8,45,000=00(रू० आठ लाख पैंतालीस हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 19,39,275.00=00(रू० उन्नीस लाख उनतालीस हजार दो सौ पच्चहतर मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


प्रभावीकृत अधिकारी
जबूरी वन प्रभाग, मयूरी